

## नए शैक्षणिक सत्र में गरीब बच्चों के प्रवेश को प्राथमिकता

### चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिये [शिक्षा का अधिकार \(RTE\) अधिनियम 2009](#) के तहत नजिी स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश को प्राथमिकता पर लिया है।

### मुख्य बटु:

- सूत्रों के अनुसार, राज्य के 31,857 नजिी स्कूलों में प्रवेश के लिये **3.08 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन कलया था।**
  - नजिी स्कूलों में **25% सीटें समाज के कमज़ोर वर्ग** के छात्रों से भरी जाएंगी।
- **प्रारंभिक शिक्षा नदशलालय** ने स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं और कक्षा 1 में RTE प्रवेश हेतु दो श्रेणियों के लिये आयु सीमा तय करते हुए एक प्रावधान कलया है।
  - तीन से चार वर्ष की आयु के बच्चों को प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश दलया जाता है और छह से सात वर्ष के बीच के बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश पाने के पात्र होते हैं।
- राज्य में बड़ी संख्या में **नजिी स्कूलों** ने प्री-प्राइमरी कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश को लेकर **चतलया वयकत की है** क्योंकि इस श्रेणी को वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा कलसी छात्र को कक्षा 1 में पदोन्नत होने तक तीन वर्ष की **फीस के भुगतान के लिये कलसी स्पष्ट दशलान-नरदशल** के बलना जोड़ा गया था।

### शलकुषल का अधकलर (RTE) अधनललतल, 2009

- शकुषल का अधकलर अधनललतल (RTE), 2009 के तहत वर्ष 2009 में बच्चों के ललये नःशलुलक एवं अनवलरय शकुषल का प्रावधान कलया गया तथल इसे **अनुचछेद 21-A** के तहत एक ढौलक अधकलर के रूप में लागू कलया गया।
- RTE अधनललतल का उददेशय **6 से 14 वर्ष की आयु** के सभी बच्चों को प्राथमक शकुषल प्रदान करना है।
- धारा **12 (1) (C)** में कहा गया है कल गैर-अलपसंखयक नजिी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल आरथकल रूप से कमज़ोर और वंचतल पृष्ठभूतलके बच्चों के ललये प्रवेश सत्र गरेड में कम- से-कम **25% सीटें आरकषत करें।**
- यह गैर-प्रवेशतल बच्चे को आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश देने का भी प्रावधान करता है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वतलतलतल एवं अन्य ज़तलमेदलरतलतल को **साझा करने** के बारे में भी जानकारी देता है।
  - भारतीय संवधलन में शकुषल **समवर्तल सूची** का वषलय है और केंद्र व राज्य दोनों इस वषलय पर कानून बना सकते हैं।
- यह छात्र-शलकुषक अनुपात (PTR), भवन और बुनयलदी ढाँचा, स्कूल-कार्य दवलस, शकुषकों के ललये कारयवधल से संबंधतल **ढानदंडों तथल ढानकों** का प्रावधान करता है।
- इस अधनललतल में गैर-शलकुषकल कारयों जैसे- स्थलनीय जनगणना, स्थलनीय प्राधकलरण, राज्य वधलनसभलओं और संसद के चुनलवों तथल आपदा राहत के अललावा अन्य कारयों में शकुषकों की तैनातल का प्रावधान करता है।
- यह अपेकषतल प्रवषलटल और शकुषकल यलग्यता के अनुसार शकुषकों की नयुकतलका प्रावधान करता है।
- यह नढलनलखतल का नषध करता है:
  - शलरीरकल दंड और ढानसकल उत्पीड़न।
  - बच्चों के प्रवेश के ललये स्कुरीनगल प्रकरयल।
  - प्रतल वयकतल शुलक।
  - शकुषकों द्वारा नजिी टयूशन।
  - बलना ढानयता प्राप्त वदलयालय।
- यह बच्चे को उसके अनुकूल और बल केंद्रतल शकुषल अधगलढ के ढाध्यढ से भय, आघलत एवं दुश्चतल से ढुकत बनाने पर केंद्रतल है।

